म.प्र.कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल

"चयन भवन" ,मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क ईस्ट० भोपाल 462011

फोन नं.– +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,

प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट (PNST) एंड
जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट (GNMTST) – 2025
परीक्षा संचालन एवं प्रवेश नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र

भरने की प्रारम्भ तिथि : 19/05/2025	भरने की अंतिम तिथि : 02/06/2025
आवेदन पत्र मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 19/05/2025	आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 07/06/2025
परीक्षा दिनांक व दिन	**24 जून 2025 मंगलवार से प्रारम्भ**

परीक्षा शुल्क

अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	रू. 400/-
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ नि:शक्तजन एवं ई.डब्लू.एस.अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये)	रू. 200/-

ऑनलाईन आवेदन -कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 60/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रू. देय होगा ।

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोटिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
24 जून 2025 मंगलवार से प्रारम्भ	प्रथम	प्रात: 08:30 - 09:30 बजे तक	10:20 से 10:30 बजे तक (10 मिनट)	प्रात: 10:30 से 12:30 बजे तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 01:00 - 02:00 बजे तक	02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है।
2. मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा ।
3. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ई.आधार कार्ड / आधार कार्ड की छायाप्रति / आधार नंबर / आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य हैं |
4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
6. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा डिजिटल घडी, मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, sun glasses एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।
7. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अत: आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
8. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोडने की अनुमति नहीं होगी।
10. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण MPESB द्वारा नहीं किया जाता हैं | अत: कप्यूटर आधारित online परीक्षा मे उम्मीदवारो की पात्रता (Eligibility) पूर्णत: प्रावधिक (Provisional) होगी |

म.प्र.कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011

फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498

प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट (PNST) एंड

जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट (GNMTST) – 2025

विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1.	लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. शासन के विभागीय नियम	**03-11**
2.	2.	म.प्र.कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली एवं निर्देश	**12-28**
3.	3.	परीक्षा का पाठ्यक्रम	**29-34**
4.	4.	विभिन्न प्रमाण पत्रों के प्रारूप	**35-44**

(मध्य प्रदेश में नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थाओं में बी.एस सी. नर्सिंग तथा जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु)

(For Admission in B.Sc Nursing/ Genral Nursing & Midwifry course in Madhya Pradesh)

बी.एस सी. नर्सिंग पाठयक्रम (4 वर्षीय) एवं जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण (3 वर्षीय) में प्रवेश संबंधी नियम

2025

RULES FOR ADMISSION IN B.Sc NURSING COURSE (4 YEAR) AND G.N.M COURSE (3 YEAR)

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH AND MEDICAL EDUCATION

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

मध्य प्रदेश शासन

अध्याय - 1

1. <u>परिभाषा</u> - इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) **"विभाग"** से अभिप्रेत है - मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग।

(ख) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा।

(ग) टेस्ट से तात्पर्य है PNST (प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट) तथा GNMTST (जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट)।

(घ) राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य।

(ड.) एम.पी.ई.एस.बी से अभिप्रेत है म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल भोपाल।

(च) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुछेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(छ) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुछेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ज) **ओ.बी.सी.** से अभिप्रेत है अन्य पिछ्डा वर्ग ।

(झ) **ई.डब्लू.एस.** से अभिप्रेत है आर्थिक रूप से कमजोर ।

(ण) आशा **(Accredited Social Health Activist)** से अभिप्रेत है- मध्य प्रदेश राज्य में कार्यरत् मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ग्राम स्तर पर समुदाय द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से चिन्हित स्थानीय महिला (उसी ग्राम में विवाहित) है, जो समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं व कार्यक्रम से जोडने का कार्य करती है।

2. <u>परीक्षा के नियम एवं शर्ते</u>

ये नियम राज्य के शासकीय तथा निजी नर्सिंग महाविद्यालयों में ''B.Sc नर्सिंग/GNM पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम'' कहलायेंगे।

ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय तथा निजी नर्सिंग महाविद्यालयों में प्रवेश चाहते हैं।

2.1 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता /अन्य अर्हताए :-

(क) उम्मीदवार भारत का नागरिक हो ।

(ख) बी.एस सी नर्सिंग/जी.एन.एम. पाठयक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद भोपाल/सीबीएसई/आईसीएसई अथवा अन्य राज्यो के स्कूल शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त 10+2 प्रणाली से 12 वी कक्षा उत्तीर्ण व भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीवविज्ञान विषयों के अंको को मिलाकर न्यूनतम 45% अंकों से उत्तीर्ण हो, आरक्षित SC,ST,OBC वर्ग के उम्मीदवार को 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी (न्यूनतम अर्हताकारी अंक 40%) । उम्मीदवार अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण हो ।

(ग) सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय का राजपत्र असाधारण दिनांक 27 दिसम्बर 2021 अनुसार अनुसूची एक मे लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की स्थापना मे अनुसूची दो मे विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये आरक्षित पद चिन्हांकन अनुसार कार्यवाही की जायेगी

(घ) मध्य प्रदेश राज्य में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओ के लिये शासकीय बी.एस सी नर्सिग महाविद्यालय प्रशिक्षण केन्द्र में स्वीकृत कुल सीटों का 4 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण लागू होगा।

(ड.) लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत नियमित ए.एन.एम/एल.एच.व्ही नियमित कार्मिकों के लिये शासकीय बी.एस सी नर्सिंग महाविद्यालय में स्वीकृत कुल सीटों का 4 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण लागू होगा।

<u>लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत नियमित ए.एन.एम/एल.एच.व्ही कार्मिकों हेतु अर्हता:-</u>

- **i.** शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में प्रशिक्षण हेतु उम्मीदवार लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का नियमित कार्मिक होकर वर्तमान मे सेवारत हो एवं निरंतर सेवा अवधि 5 वर्ष पूर्ण हो | परिवीक्षा अवधि समाप्त हो चुकी हो।
- **ii.** पूर्ण सेवाकाल में एक बार ही अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जायेगा ।
- **iii.** आवेदन करते समय आवेदिका के अवकाश खाते में उपलब्ध अवकाश ही स्वीकृत किये जायेगें, शेष अवधि अवैतनिक होगी।
- **iv.** शासकीय सेवा में आने के उपरान्त उच्च अध्ययन से संबंधित समस्त शैक्षणिक अर्हताए
- **v.** नियमित ए.एन.एम/एल.एच.व्ही विभागीय अनुमति के पश्चात् ही पूर्ण की गई हो ।
- **vi.** नियमित ए.एन.एम/एल.एच.व्ही निजी प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिये अपात्र होंगे ।

(छ) विवाहित उम्मीदवार भी प्रवेश हेतु पात्र होंगे ।

2.2 आयु सीमा:-

(क) प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिये उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 31 दिसम्बर 2025 को 17 वर्ष होना चाहिए।

(ख) अधिकतम आयु सीमा के सम्बंध में भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन लागू होंगे।

2.3 निरर्हताएं :-

(क) परीक्षा कक्ष में दुर्व्यवहार एवं शांति भंग करने का प्रयास करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जा सकेंगें।

(ख) फर्जी दस्तावेज / दस्तावेज फेरबदल किया हो / चयन के स्तर पर जानकारी छिपाई हो / सारभूत जानकारी छुपाई हो तो ऐसे उम्मीदवार को अयोग्य माना जावेगा।

(ग) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो, तो परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जाऐगा।

(घ) अन्य किसी भी प्रकार के अनुचित साधनो का परीक्षा में उपयोग किया गया हो, तो परीक्षा में अयोग्य घोषित किया जाएगा।

2.4 आरक्षण:-

(क) मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों को ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

(ख) शासकीय एवं निजी नर्सिंग महाविद्यालय/ प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु राज्य में तत्समय प्रचलित आरक्षण नियम लागू होगें।

(ग) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो और अन्य पिछडा वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 क्रं 21 वर्ष 1994 के उपबंधो के अनुसार लागू होगा तथा राज्य शासन दवारा समय समय पर आरक्षण के संबंध मे जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आरक्षण लागू होगा ।

(घ) सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश के आदेश क्रमांक एफ 07-11/2019/आ.प्र/एक भोपाल, दिनॉक 02 जुलाई, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्लू.एस.) को 10 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा।

(ङ) भारतीय उपचर्या परिषद के मापदण्ड अनुरूप दिव्यांगजन आरक्षण लागू होंगा।

नोट :- अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण माननीय न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित किया जा सकेगा।

3. <u>प्रवेश प्रक्रिया -</u> उम्मीदवारों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना:-

कर्मचारी चयन मण्डल मध्यप्रदेश , भोपाल द्वारा विज्ञापन जारी किया जायेगा जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख का उल्लेख किया जाएगा। उम्मीदवार अपना आवेदन ऑनलाइन विधि से नियत तिथि में जैसा कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा निर्देशित किया जाए, प्रस्तुत करेंगें।

ऑन लाईन आवेदन के समय स्केन कॉपी अपलोड करने हेतु अनिवार्य दस्तावेजों की सूची:-

9.1 10 वीं की अंकसूची जन्म दिनॉक की पुष्टि हेतु ।

9.2 12 वीं की 10+2 प्रणाली में अंकसूची

9.3 मध्यप्रदेश शासन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल निवासी प्रमाण पत्र ।

9.4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मध्यप्रदेश द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र।

9.5 मध्यप्रदेश शासन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ई.डब्लू.एस प्रमाण पत्र।

9.6 जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदायित आशा कार्यकर्ता का 5 वर्ष की निरंतर सेवा अनुभव का प्रमाण पत्र ।

9.7 जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदायित विभाग अन्तर्गत कार्यरत नियमित ए.एन.एम/एल.एच.व्ही कार्मिकों का 5 वर्ष की निरंतर सेवा अनुभव का प्रमाण पत्र।

(क) आवेदन शुल्क:-

i. आवेदन शुल्क की प्रक्रिया, प्रपत्र एवं शुल्क आदि का निर्धारण मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के मापदंडों के अनुसार होगा जिसका व्यय स्वयं आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा।

ii. शुल्क मे छूट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्यपिछडा वर्ग, और ई.डब्लू.एस के उम्मीदवारों के लिये लागू है, जो मध्यप्रदेश के उन मूल निवासियों पर ही लागू होगी जिन्हे मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग घोषित किया गया है, एवं जो ई.डब्लू.एस श्रेणी के लिये अर्ह है ।

iii. ऐसे उम्मीदवार जो अन्य पिछडा वर्ग के है और क्रीमीलेयर मे आते है, आरक्षण के लाभ, या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ख) कर्मचारी चयन मण्डल, मध्यपदेश द्वारा पोर्टल पर परीक्षा का सिलेबस 12 कक्षा (एम.पी बोर्ड जिसमें भौतिक विज्ञान 20 नम्बर, जीव विज्ञान 20 नम्बर, रसायन शास्त्र 20 नम्बर, सामान्य ज्ञान 20 नम्बर एवं अंग्रेजी 20 नम्बर) प्रदर्शित किया जायेगा जिसके आधार पर परीक्षा आयोजित की जावेगी।

(ग) परीक्षा परिणाम कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा। **कर्मचारी चयन मंडल इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम की पृथक एवं जी.एन.एम. पाठ्यक्रम की पृथक प्रावीण्य सूची श्रेणीवार विभाग को उपलब्ध करावेगा।**

कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम प्रकाशित किया जायेगा जो अंतिम रूप से मान्य होगा । कर्मचारी चयन मंडल द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम सूची में जिन उम्मीदवारों का नाम नही होगा उनका प्रवेश अमान्य किया जायेगा ।

(घ) न्यूनतम अर्हकारी अंक (कट ऑफ मार्क्स) :-

कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा संचालित परीक्षा में केवल उन्हीं उम्मीदवारों के नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित कुल अंको में से अर्हकारी अंक प्राप्त किए हो। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित / ई डब्लू एस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 50 परसेन्टाईल, सामान्य वर्ग दिव्यांगजन के लिये 45 परसेन्टाईल तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य

पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40 परसेन्टाईल न्यूनतम अर्हताकारी अंक होंगे।

न्यूनतम अर्हताकारी अंक (कट ऑफ मार्क्स) में परिवर्तन के निर्णय का अधिकार आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. को होगा ।

(ड.) सह-वरिष्ठता :

चयन परीक्षा में प्राप्त परसेंटाइल के आधार पर प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची निर्धारित होगी, परन्तु परीक्षा में समान परसेंटाइल प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सह-वरिष्ठता पहले अनुपातिक अंक फिर आयु (जन्म तिथि) के आधार पर निर्धारित की जावेगी। आयु (जन्म तिथि) समान होने की स्थिति में चयन परीक्षा के विषयों में उल्लेखित विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांको को आधार बनाकर निश्चित किया जावेगा- प्रथम-जीव विज्ञान, द्वितीय-रसायन, तृतीय-भौतिकी एवं चतुर्थ-अंग्रेजी।

यह आवश्यक नहीं है कि अंतिम CUT-OFF मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में सम्मिलित किया जाये।

(च) प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट एण्ड जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट में काउन्सलिंग एवं प्रवेश की विस्तृत प्रक्रिया पृथक से मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल/ चयनित एजेन्सी की वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी ।

नर्सिंग महाविद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश के समय संस्था द्वारा उम्मीदवारों के मूल दस्तावेज/ प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखो का परीक्षण किया जावेगा। मूल प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा । शैक्षणिक तथा अन्य अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त पात्र उम्मीदवारों की ही प्रवेश प्रक्रिया संपन्न की जायेगी ।

नर्सिंग महाविद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा में पी.एन.एस.टी एण्ड जी.एन.एम.टी.एस.टी 2025 के परीक्षा परिणाम में चयनित उम्मीदवारों की सूची में से ही प्रवेश दिया जा सकेगा ।

संचालक
नर्सिंग एवं सह चिकित्सा
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
मध्य प्रदेश

अध्याय-2

म.प्र.कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

2.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। **अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभॉति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।**

(ii) **विभागीय नियमावली एवं अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी ।**

(iii) **सीट्स की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।**

(iv) **अभ्यथी के परीक्षा केन्द्र/तिथि परिवर्तन के आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे**

2.2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें काउसलिंग की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये।

(ii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन/प्रवेश के समय संबंधित विभाग/संस्था द्वारा किया जायेगा।

(iv) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी दी गई है अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

(v) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

(i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।

(ii) बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु।)

(iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य, यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा ।

2.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone,Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening

Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, sun glasses Scales and whitener इत्यादि पूर्णत: वर्जित है।

2.5 लिखित परीक्षा में नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ नियमानुसार लागू होने पर :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं पी ई बी के आदेश क्रमांक पी ई बी / प-1 / 712 / 2020 भोपाल दिनाक 05/02/2020 के आधार पर लिखित परीक्षा में नि:शक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) नि:शक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से नि:शक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जावेगी | किन्तु दृष्टिबाधित दिव्यांग अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय दोनों की सुविधा प्रदान की जावेगी | सहायक अथवा प्रतिपूरक समय अथवा दोनों (दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु) की सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं शपथ पत्र सहित MPESB कार्यालय को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनांक से 10 दिवस पूर्व प्रस्तुत करनी होगी ताकि MPESB स्तर पर नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके| आपरिहर्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी |

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अहर्ता/प्रश्न पत्र के स्तर (जो भी कम हो) से एक स्तर नीचे का होना चाहिए | उदाहरण के लिए यदि परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकण्ड्री होना चाहिए ।

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे 30 मिनिट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1 घंटे 30 मिनिट की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(स) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा |

2.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र MPESB की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

2.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

(i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) ई.एस.बी. की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

(ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

(iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, **बाये हाथ के अंगूठे का निशान** तथा हस्तलिपि (बाल पांईट पेन से) अंकित करना होगी।

(iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2.8 मूल्यांकन पद्धति:-

1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।
2. वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा के अंत में अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की अंकित संख्या Raw Score के रूप में प्रदर्शित करने का प्रावधान है | परीक्षा की पारदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रक्रिया में संशोधन किया गया है | जिसमे Raw Score (सही प्रश्नों की संख्या) प्रदर्शन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की संख्या एवं पासवर्ड को कंप्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने का प्रावधान किया गया है | अभ्यर्थी द्वारा अंकित Raw Score (सही प्रश्नों की संख्या) एवं प्रदर्शित Raw Score के सामान होने पर सबमिट किया जा सकेगा |

2.9 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियॉ आहूत की जाती है तद्नुसार विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है।

A. निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :-

(i) प्रश्न की संरचना गलत हो।

(ii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।

(iii) कोई भी विकल्प सही न हो।

(iv) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।

(v) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।

B. हिन्दी तथा अंग्रेज़ी पाठ में समानता नहीं है (समस्त प्रश्न पत्रों के लिए हिंदी पाठ को मानक माना जाएगा | सिवाय विज्ञान तथा तकनीकी विषयों के प्रश्नपत्र, जहाँ पर अंग्रेज़ी पाठ को मानक माना जाएगा) |

C. प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में ई.एस.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

<u>उदाहरण 01</u> :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \times 100}{(100-2)} = 91.83$$

<u>उदाहरण 02</u> :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \times 150}{(150-2)} = 141.89$$

<u>उदाहरण 03</u> :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \times 200}{(200-2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी ।

(आदेश क्र. पी.ई.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

2.9 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजशन पद्धति :–

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल के आदेश क्र. ईएसबी/29/16/2021/ई-1/1040/2025, दिनांक 13/02/2025 के अनुसार मंडल द्वारा आयोजित ऑनलाईन परीक्षाएँ, जिसमें परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है, उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मलाईजेशन पद्धति से तैयार किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है :-

- ऐसी परीक्षा जिनका आयोजन एक चरण में तथा एक से अधिक पालियों में किया जाता है अथवा ऐसे पद/पाठ्यक्रम जिनमें एक से अधिक विषय के प्रश्न-पत्र देने वाले आवेदक पात्र होते हैं।

- ऐसी परीक्षाएँ जिनका आयोजन बहुचरण में जैसे कि Police Constable Recruitment Test में प्रथम चरण में ई.एस.बी. द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन एवं संबंधित विभाग द्वारा भौतिक परीक्षण/शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन किया जाता है।

उपरोक्त दोनों प्रकार की परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम तैयार किये जाने हेतु मंडल के आदेश क्रं. 11-80/2013/08/पी-2/625/2025, दिनांक 24/01/2025 से गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार Normalised Equi-Percentile (NEP) scaling technique एवं निम्न सूत्रों से परीक्षा परिणाम तैयार किये जायेंगे :-

(a) एक चरणीय (Single-stage) परीक्षा हेतु निम्न सूत्र से परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा :-

$$P_{ij} = \frac{No.of\ candidates\ in\ shift\ (j)\ having\ proportionate\ scores \leq X_{ij}}{N_j} x100$$

- **shifts** be denoted as S_1, S_2, ... S_K.
- number of **candidates** appearing in each shift be denoted by N_1, N_2, ... N_K
- X_{ij} be the **actual/proportionate marks** of candidate (i) in shift (j), where, i can vary from 1 to N_j and j can vary from 1 to K.
- P_{ij} be the **percentile score** of candidateX_{ij}, where, i can vary from 1 to N_j and j can vary from 1 to K.

एक से अधिक पालियों में आयोजित परीक्षाओं या एक पॉली में एक से अधिक विषय हेतु Percentile score को एकजाई कर परीक्षा परिणाम/मेरिट लिस्ट बनाया जा सकेगा।

(b) बहु चरणीय (Multi-stage) परीक्षा हेतु निम्न सूत्र से परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा -:

A.1 In cases where MP-ESB conducts examinations in 2 phases/stages, where the first is through the competitive examination followed by a Physical or Personal Interview/Examination, it is not appropriate to add the proportionate score or the percentile score of the first phase with the scores received in the second phase/ stage. In this scenario, MP-ESB will adopt the following methodology.

A.2 Step 1: Compute the percentile score $P_{ij}$of the proportionate score obtained by the candidates as described at (a) above.

A.3 Step 2: Compute the equivalent z-value for the percentile score using the Standard Normal Distribution

$$Z_{ij}=\text{ROUND(NORMSINV}\left(\frac{P_{ij}}{100} - \mathbf{0.005}\right)\text{,6)}$$

where,

- Z_{ij}= Z -value score of ith candidate & jth shift

A.4 Step 3: Compute the corresponding T-score value for each candidate using the following formula:

$$T_{ij} = AM + ASD \times (Z_{ij})$$

where, T_{ij}= T-score of ith candidate & jth shift where,

AM = Assumed Mean = (Maximum Marks of the paper)/2

ASD = Assumed Standard Deviation = (Maximum Marks)/10

A.5 Step 4: Compute the Final Score Obtained for each candidate by adding the T-score ((T_{ij}) with the score obtained in the Physical/Personal test and the Final Score so obtained may be used for preparing the Merit List and inter-se position.

- For tie-breaking situations, at the first level, will be based on the proportionate marks obtained by the candidate in the examination, followed by the existing practise of MP-ESB.
- The proportionate score, percentile score, Z-value & T-score will be computed by rounding off to six places of decimal for single stage & multistage examination. The qualifying marks for any category (UR, SC/ST/OBC, PwD etc) willl be based on Proportionate Scores obtained by candidate.

उपरोक्त सूत्रों के अनुसार एक चरणीय एवं बहुचरणीय परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम/मेरिट लिस्ट तैयार किये जायेंगे।

2.10 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदनः–

(i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ इस हेतु मंडल वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है | लिंक अपलोड होने के पश्चात तीन दिवस तक ही ऑनलाइन आपत्तियाँ ली जा सकेंगी | उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जावेगी | अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्न पर एक बार आपत्ति दर्ज की जा सकेगी | एक बार आपत्ति दर्ज होने पर उस प्रश्न को विषय विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत रूप से परीक्षण कर निर्णय लिया जावेगा, अतः उन प्रश्नों पर एक बार आपत्ति दर्ज होने के उपरांत पुनः आपत्ति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी | प्रति प्रश्न/उत्तर पर आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा राशि रूपये 150/- (एक सौ पचास) + अन्य चार्ज/शुल्क देय होगा| मण्डल को प्राप्त भौतिक अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा |

(ii) बिन्दु क्रमांक 2.9 अ अनुसार MPESB द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी ।

(iii) अंतिम उत्तर के संबंध में विषय विशेषज्ञों (कुंजी समिति) द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.11 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) **<u>अनुचित साधन (Unfair means)</u>** <u>/यू.एफ.एम. (**UFM**) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में</u>

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा /Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा।
2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफसी करना, ईशारे करना व अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना।
3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौपने से इंकार करना व उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा।
4. नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशो की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना,धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।
8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना।
9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है।
10. परीक्षा परिणाम जारी करने के पूर्व मंडल द्वारा किये गए डेटा विशलेषण में असामान्यता परिलक्षित होती हैए तो सम्बंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध यू.एफ.एम./वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु मंडल स्वतंत्र होगा द्य
11. उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।
12. परीक्षा उपरांत, परीक्षा सम्बन्धी Data का सांख्यिकीय विशलेषण के आधार पर आवेदकों की गतिविधि असामान्य परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी को UFM श्रेणी में मान्य कर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जायेगी |

यूएफएम प्रकरणो में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे। उपरोक्त मेंसे किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी।

(ब) <u>पररूपधारण **(IMPERSONATION)** के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबध में</u>

1.अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे में अभ्यर्थी में विरूद्ध यूएफएमप प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष

द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी । ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

2. विभाग द्वारा आयोजित दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व काउंसलिंग के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते है, तो विभाग उक्त अभ्यर्थीकी अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर MPESB को अवगत कराया जायेगा ।

MPESB द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है ।

2.12 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

(i) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर MPESB द्वारा अभ्यर्थियों की एकजाई श्रेणीवार प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

(ii) संबंधित विभाग की अनुशंसा उपरांत परीक्षा परिणाम म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

(iii) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाऐं भी MPESB की वेबसाईट पर अपलोड की जाऐंगी।

2.13 परीक्षा परिणाम :-

(i) अभ्यर्थियों का परिणाम MPESB की वेबसाईट www.esb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा । परीक्षा परिणाम के अंकों की सभी गणना दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी तथा किसी भी स्थिति में अंकों को राउंडऑफ कर नहीं जोड़ा जायेगा।

(ii) तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.14 म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार MPESB का होगा।

(ii) MPESB अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं MPESB द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख MPESB द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.15 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

खण्ड-ब

2.16 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा:-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को स्केन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी/दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ्डा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(iv) ई.डब्लू.एस. श्रेणी प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(v) दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।

(vi) आवेदन पत्र में आवेदक को अपनी हस्तलिपि में निम्नलिखित text लिख कर अपलोड करना अनिवार्य होगा |
" मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है । यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड की आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती हैं ।"

2.17 ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को स्केन कराकर संलग्न करना होगा । जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iii) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।

(iv) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(v) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी ।

(vi) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अत: ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णत: स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(ix) मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो - हस्ताक्षर - हस्तलिपि होने पर आवेदन-पत्र अमान्य किये जायेंगे |

(x) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

2.18 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

(i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।

(ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

(iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्क धारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।

(iv) अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिखित आवेदन पर MPESB द्वारा विचार नहीं किया जायेगा |

(v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2.19 <u>ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :</u>

(i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ii) **आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।**

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णाक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।

(v) **आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक** / आधार VID **अनिवार्यत: अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है । इसके उपयोग से**

1. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा।
2. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा । विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा ।

(vi) पहचान पत्र के मीनू मे MPESB द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया।

2.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की **वेबसाईट** www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।

(ii) इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।

(iii) सीधी भर्ती-बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियो द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नही होगा।

(iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

2.21 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) आवेदक **स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा** वेबसाईट www.esb.mponline.gov.in के माध्यम से

(i) परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **निर्देश/Instructions** तथा परीक्षा **नियम/Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

(ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु क्लिक करें ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

(v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करने के पूर्व पुन: पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।

(vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड (सभी बैंक के)

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

2.22 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

(i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2.23 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

(i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

(ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2.24 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2.25 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगी:-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

(ii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

(iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

(iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्लू.एस./दिव्यांगजन का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

(v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ ई.डब्लू.एस./दिव्यांगजन श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेंष राशि का भुगतान करना होगा।

(vi) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(vii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(viii) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर MPESB द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये MPESB द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

(ix) ऐसे आवेदक जिन्होंने निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र भर लिये हैं लेकिन भुगतान नहीं किया है, वे संशोधन अवधी में संशोधन शुल्क सहित भुगतान कर सकेंगे |

2.26 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

(i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण MPESB स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा ।

(ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(iii) इस संबंध में MPESB द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2.27 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 6720200 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2.28 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2.29 पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन

म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर MPESB द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये MPESB द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2.30 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत MPESB की E-mail ID complain.esb@mp.gov.in पर भेज सकते हैं।

खण्ड-स

2.31 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
19/05/2025	02/06/2025	15	19/05/2025	07/06/2025	20

2.32 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्रं.	दिनांक	दिन	पाली	समय	अवधि	अधिकतम अंक
1.	24 जून 2025 से प्रारम्भ	मंगलवार	प्रथम	प्रातः 10:30 से 12:30 तक	02 घंटे	100
2.			द्वितीय	दोपहर 03:00 से 05:00 तक	02 घंटे	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायक से काला करना होगा।

2.33 (i) परीक्षा शुल्क :-

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं ई.डब्लू.एस. के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क
01.	एक	400/-	200/-	200/-	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 60/- रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से भरने पर 20/-

(ii) संशोधन किये जाने पर देय शुल्क

स.क्र.	प्रश्नपत्रों की संख्या	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क	आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क
01.	एक	20/-	40/-

2.34 परीक्षा शहर :-

आवेदकों को आवेदन पत्र भरते समय चार परीक्षा शहरों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना आवश्यक है | बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के प्राथमिकता में अंकित किये गये शहरों में सीटों की उपलब्धता के आधार पर Random प्रकार से परीक्षा केंद्र आवंटित किये जाने का प्रयास किया जावेगा | तथापि परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रो की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है । बोर्ड अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है एवं उक्त सम्बन्ध में MPESB का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा | अतः परीक्षा केंद्र परिवर्तन के सम्बन्ध में किसी प्रकार के आवेदन मान्य नहीं होंगे | लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा शहरो/केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी ।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र			
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. ग्वालियर
5.रतलाम	6.रीवा	7.सागर	8.सतना
9.उज्जैन			

खण्ड-द

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

2.35

(i) परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है। परीक्षा में निर्धारित रिपोर्टिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी.

(ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा । अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।

(iv) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।

(v) ऑनलाईन आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश.पत्र प्राप्त कर सकते है। अत: आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यक रूप से संभाल कर रखे जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।

(vi) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट मे किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधन मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा ।

(vii) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है ।

(viii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।

(ix) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पह चान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। ई.आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा ।

अध्याय-3

प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट (PNST) एंड जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट (GNMTST) - 2025 प्रवेश परीक्षा का पाठयक्रम

विषय : भौतिक शास्त्र

क्रमांक	इकाई	अध्याय
1	Unit-1	अध्याय 1- वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र- भूमिका, वैद्युत आवेश, चालक तथा विद्युतरोधी, वैद्युत आवेश के मूल गुण, कूलॉम नियम, बहुल आवेशों के बीच बल, विद्युत क्षेत्र , विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत द्विध्रुव, एकसमान बाह्रा क्षेत्र में द्विध्रुव, संतत आवेश वितरण गाउस नियम, गाउस नियम के अनुप्रयोग अध्याय 2- स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता- भूमिका ,स्थिरवैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, आवेशों के निकाय के कारण विभव ,समविभव पृष्ठ ,आवेशों के निकाय की स्थितिज उर्जा ,बाह्रा क्षेत्र में स्थितिज उर्जा,चालक-स्थिरवैद्युतिकी ,परावैद्युत तथा ध्रुवण, संधारित्र तथा धारिता, समांतर पट्टिका संधारित्र, धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्र में संचित उर्जा
	Unit-2	अध्याय 3-विद्युत धारा- भूमिका, विद्युत धारा चालक में विद्युत धारा, ओम का नियम इलेक्ट्रोन का अपवाह एवं प्रतिरोधकता का उद्गम, ओम के नियम की सीमाएं, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता ,विद्युत उर्जा, शक्ति, सेल, विद्युत वाहक बल (emf), आंतरिक प्रतिरोध, श्रेणी तथा पार्श्वक्रम में सेल, किरखोफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु
2	Unit-3	अध्याय 4- गतिमान आवेश और चुंबकत्व- भूमिका, चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में गति, विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बायो-सावर्ट नियम, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ऐम्पियर का परिपथीय नियम, परिनालिका, दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल- ऐम्पियर, विद्युत धारा पाश पर बल आघूर्ण , चुंबकीय द्विध्रुव, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर अध्याय 5- चुंबकत्व एवं द्रव्य- भूमिका, छड चुबंक, चुंबकत्व एवं गाउस नियम, चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता, पदार्थों के चुंबकीय गुण

	Unit-4	अध्याय 6- वैद्युतचुंबकीय प्रेरण- भूमिका, फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग, चुंबकीयफ्लक्स, फैराडे का प्रेरण का नियम , लेंज का नियम तथा उर्जा संरक्षण, गतिक विद्युत वाहक बल, प्रेरकत्व, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अध्याय 7-प्रत्यावर्ती धारा- भूमिका, प्रतिरोधक पर प्रयुक्त ac वोल्टता ac धारा एवं वोल्टता का घूर्णी सदिश द्वारा निरूपण- कलासमंजक (फेजर्स), प्रेरक पर प्रयुक्त ac वोल्टता, संधारित्र पर प्रयुक्त ac वोल्टता, श्रेणीबद्ध LCR परिपथ पर प्रयुक्तac वोल्टता, ac परिपथों में शक्ति: शक्ति गुणांक ट्रांसफॉर्मर
3	Unit-5 Unit-6	अध्याय 8- वैद्युतचुंबकीय तरंगे- भूमिका, विस्थापन धारा, वैद्युतचुंबकीय तरंगे, वैद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम अध्याय 9- किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र- भूमिका, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन , प्रिज्म में अपवर्तन, प्रकाशिक यंत्र अध्याय 10- तरंग प्रकाशिकी- भूमिका, हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों का अपवर्तन तथा परावर्तन, तरंगों का कला-संबंद्ध तथा कला- असंबद्ध योग, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण तथा यंग का प्रयोग, विवर्तन, ध्रुवण
4	Unit-7 Unit-8	अध्याय 11- विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति- भूमिका, इलेक्टॉन उत्सर्जन, प्रकाश-विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, प्रकाश- विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत, आइंस्टाइन का प्रकाश- विद्युत समीकरण: विकिरण का उर्जा क्वांटम, प्रकाश की कणीय प्रकृति: फोटॉन, द्रव्य की तरंग प्रकृति अध्याय 12- परमाणु- भूमिका, एल्फा कण प्रकीर्णन तथा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, परमाण्वीय स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजनपरमाणु का बोर का मॉडल, हाइड्रोजनपरमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम , बोर के क्वांटमीकरण के द्वितीय अभिगृहित का दे ब्रॉग्ली द्वारा स्पष्टीकरण अध्याय 13-नाभिक- भूमिका, परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना, नाभिक का साइज, द्रव्यमान- उर्जा तथा नाभिकीय बंधन- उर्जा, नाभिकीय बल , रेडियोऐक्टिवता, नाभिकीय उर्जा
	Unit-9	अध्याय 14- अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी-पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ- भूमिका धातुओं चालकों तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण नैज अर्धचालक अपद्रव्यी अर्धचालक p-nसंधि अर्धचालकडायोड, संधि

		डायोड का दिष्टकारी के रूप में अनुप्रयोग

पाठ्यक्रम

विषय :- रसायन शास्त्र

क्र.	इकाई	अध्याय
1	Unit-1 विलयन	विलयनों के प्रकार, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना , विलेयता, द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब, आदर्श एवं अनादर्श विलयन, अणुसंख्य गुणधर्म और आण्विक द्रव्यमान की गणना, असामान्य मोलर द्रव्यमान
2	Unit-2 वैद्युतरसायन	वैद्युत रासायनिक सेल, गैल्वैनी सेल, नेर्न्स्ट समीकरण ,वैद्युतअपघटनी विलयनों का चालकत्व, वैद्युतअपघटनी सेल एवं वैद्युतअपघटन, बैटरियां, ईधन सेल, संक्षारण
3	Unit-3 रासायनिक बलगतिकी	रासायनिक अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, समाकलित वेग समीकरण, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत
4	Unit-4 **d**-एवं f- ब्लॉक के तत्व	आवर्त सारणी में स्थिति, **d**-ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण तत्वों (**d**-ब्लॉक) के सामान्य गुण, संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, लैन्थेनॉयड , एक्टिनॉयड, **d**-एवं f- ब्लॉक तत्वों के कुछ अनुप्रयोग
5	Unit-5 उपसहसंयोजन यौगिक	उपसहसंयोजन यौगिकों का वर्नर का सिद्धांत, उपसहसंयोजन यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख पारिभाषिक शब्द व उनकी परिभाषाएं, उपसहसंयोजन यौगिकों का नामकरण, उपसहसयोंजन यौगिकों में समावयवता, उपसहसंयोजन यौगिकों में आबंधन, धातु कार्बोनिलों में आबंधन, उपसहसंयोजन यौगिकों का महत्व तथा अनुप्रयोग
6	Unit-6 हैलोऐल्केन तथा हैलोऐरीन	वर्गीकरण, नामपद्धति, C-X आबंध की प्रकृति, ऐल्किल हैलाइडों के विरचन की विधियां, हैलोएरीनों का विरचन, भौतिक गुण रासायनिक अभिक्रियाएं पॉलिहैलोजन यौगिक
7	Unit-7 ऐल्कोहॉल, फीनॉल एवं ईथर	वर्गीकरण, नामपद्धति, प्रकार्यात्मक समूहों की संरचनाएं, ऐल्कोहॉल तथा फीनॉलों का विरचन, औद्योगिक महत्व के कुछ ऐल्कोहॉल, ईथर
8	Unit8 ऐल्डिहाइड , कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल	कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण एवं संरचना, ऐल्डिहाइडों एवं कीटोनों का विरचन, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐल्डिहाइडों एवं कीटोनों के उपयोग, कार्बोक्सिलिक समूह की नामपद्धति व संरचना, कार्बोक्सिलिकअम्ल बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं, कार्बोक्सिलिकअम्लों के उपयोग
9	Unit9 ऐमीन	ऐमीनों की संरचना वर्गीकरण नामपद्धति, ऐमीनों का विरचन, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं ,डाइएजोनियम लवणों के विरचन की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐरोमैटिक यौगिकों के संश्लेषण में डाइएजो लवणों का महत्व
10	Unit10 जैव- अणु	कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एन्जाइम, विटामिन, न्यूक्लीक अम्ल, हार्मोन

पाठयक्रम

विषय :- जीव विज्ञान

क्र.	इकाई	अध्याय
1	जनन	अध्याय-1- पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन अध्याय-2- मानव जनन अध्याय -3- जनन स्वास्थ्य
2	आनुवंशिकी तथा विकास	अध्याय-4- वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत अध्याय-5- वंशागति के आणविक आधार अध्याय-6- विकास
3	मानव कल्याण में जीव विज्ञान	अध्याय-7- मानव स्वास्थ्य तथा रोग अध्याय-8- मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव
4	जैव प्रौद्योगिकी	अध्याय-9- जैव प्रौद्योगिकी- सिद्धांत व प्रक्रम अध्याय-10- जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग
5	पारिस्थितिकी	अध्याय-11-जीव और समष्टियां अध्याय-12-पारितंत्र अध्याय-13-जैव-विविधता एवं संरक्षण

4. GENERAL ENGLISH

1. Reading Comprehension
2. Vocabulary items including synonyms and antonyms, word formation, Prefixes, Suffixes.
3. Grammar and usage: (a) Articles and determiners. (b) Agreement between the subject and the verb. (c) Time and tenses. (d) Prepositions and phrasal verbs (e) Auxiliaries including modals.
4. Transformation of sentences. (a) Voices : active and passive. (b) Narration : direct and indirect. (c) Degrees if comparison (d) Sentences types : Affirmative, negative and interrogative
5. Common errors.
6. Spelling (the British pattern of spelling will be followed).

5. सामान्य ज्ञान

1. समसामयिक मामले / राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं ।
2. भारत का इतिहास व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन ।
3. भारतीय व संसार का भूगोल - भारत व संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल आदि।
4. भारतीय राजनीति व शासन तंत्र - संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायतीराज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं व अधिकार आदि।
5. आर्थिक व सामाजिक विकास- सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहले आदि।
6. पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैवविविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान आधारित सामान्य मुद्दे।
7. भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्यप्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीति।
8. मध्यप्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास।

अध्याय-4

प्रमाण पत्रों के प्रारूप

प्रपत्र - 1 :

उम्मीदवार के पिता / माता/वैध अभिभावक का शपथ-पत्र

(केवल अनुसूचित जाति, जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए)

नाम .... पिता का नाम ....

जाति/जनजाति (अनुसूची का क्रमांक) नाम..

धर्म ....

व्यवसाय ....

पता ....

मैं शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि :-

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अन्तर्गत जिला..के लिए घोषित .... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सदस्य हूँ।

अथवा

2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी .... जिला .... के समक्ष जाति प्रमाण-पत्र करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक............................... को प्रस्तुत किया गया है। उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

....

टिप्पणी :- जो अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट देवें एवं प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

प्रपत्र - 2 :

उम्मीदवार के पिता / माता/वैध अभिभावक का शपथ-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग......................................जिला.............. मध्यप्रदेष

पुस्तक क्रमांक ....

प्रमाण-पत्र क्रमांक.......... प्रकरण क्रमाक......................

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम.................................... निवासी ग्राम/नगर ....वि. खं..............................तहसील...जिला..सं भाग..जाति /जनजाति.................................. का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेष राज्य के संबंध में अनुसूचिज जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह .... .जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संषोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेष की सूची में अनुक्रमांक ....पर अंकित है. अतः श्री/श्रीमती/कुमारी .... .पिता/पति का नाम..अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।.

2. प्रमाणित किया जात है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी..के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये ....हैं.

हस्ताक्षर
प्रमाणिकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

दिनांक ....

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 केअंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेष राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अथ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेष राज्य से संबंधित जनजाति.

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गए प्रमाण-पत्र मान्य होंगे. (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट, (ब) तहसीलदार, (स) नायब तहसीलदार, (द) परियोजना प्रषासक /अधिकारी, वृहत/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना,

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि उम्मीद्वार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ-पत्र केआधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर।

प्रपत्र - 3 :

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप : नियम 1.2.2 देखें

संदर्भ क्रमांक...................... दिनांक................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री (परीक्षार्थी का नाम) ....आत्मज श्री.................................. निवासी ग्राम..............जिला/संभाग ....मध्यप्रदेश के निवासी है जो ....जाति ....के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है.

श्री... (पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला .... संभाग में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री..(पिता का नाम) क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गो की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा म. प्र. शासन, सामान्य प्रषासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-16/2000/1 आ. प्र. दिनांक 6 जुलाई 2000 की अनुसूची अनुक्रमाक 6 आय/संपत्ती आंकलन भाग (क) संशोधित कालम (3) में किया गया है.

दिनांक.....................

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

प्रपत्र - 4 :

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक...................... दिनांक ....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी (उम्मीदवार का नाम)... श्री/कुमारी..के पिता/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से........................ (स्थान) तहसील जिला............. में स्थायी रूप से व्यवस्थापित हो गये हैं।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :-

दिनांक .... (कार्यालय सील)

प्रपत्र - 5

अधिवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक........................ दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/कुमारी..........................आत्मजा पत्नी श्री...ने नियमित छात्रा के रूप में इस संख्या...(संस्था का नाम) में सत्र .... से सत्र तक .... अध्ययन किया है।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर.............

नाम एवं पद................

स्थान ....

(कार्यालय सील)

दिनांक ....

प्रपत्र - 6

वास्तविक निवासी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक................ दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी ....
आत्मजा/पत्नी/श्री/श्रीमती.. जो
तहसील...जिला................... मध्यप्रदेश का निवासी है, क्योंकि वह

(1) मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/ हुई है।

अथवा

(2) वह /उसका पालक/ वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरन्तर कम से कम 15 वर्षो से रह रहा/रही है।

अथवा

(3) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

(4) वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं। इसके अतिरिक्त -

(1) उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

(2) उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित में से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(क) 10+2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा

(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा

स्थान..............................

दिनांक............................

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम एवं सील

टिप्पणी :- जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

प्रपत्र - 7

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.......................... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी...................... श्री/श्रीमती..का /की/पुत्री है।

(क) जो..................... विभाग में.... पर........................... (तिथि) से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी है।

अथवा

(ख) जो .... विभाग में ....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और जो .... (तिथि) को इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए।

अथवा

(ग) जो .... विभाग में ....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा के रहते हुए .... (तिथि) को हो गई थी।

अथवा

(घ) जो .... विभाग में ....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं।

....

कार्यालय प्रमुख /सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालयीन सील)

दिनांक ....

प्रपत्र - 8 :

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.......................... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी...
श्री/श्रीमती..का /की/पुत्री है, जो दिनांक 1 जनवरी 2010 को अथवा उसके पूर्व कि तिथि .... में मध्यप्रदेश में स्थित .... विभाग में .... पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन/सार्वजनिक उपक्रम का/की कर्मचारी हैं।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर.....................

नाम एवं पद ....

स्थान ....

(कार्यालयीन सील)

दिनांक ....

प्रपत्र - 9 :

मध्यप्रदेश में पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.......................... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी...

श्री/श्रीमती...का/की/पुत्री

है,... योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन /मध्यप्रदेश शासन

द्वारा पुनर्व्यवस्थापन योजना (Resettlement Scheme) है।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर........................

नाम एवं पद................................

स्थान ....

(कार्यालयीन सील)

दिनांक ....

प्रारूप – 10

(सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन एफ 07-11 /2019/आ.प्र./एक, दिनाक 02 जुलाई 2019 का संलग्रक)

मध्यप्रदेश शासन

कार्यालय का नाम ....आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या ....

वित्तीय वर्ष ....के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....

पुत्र/पति/पुत्री ....ग्राम/क़स्बा ....पोस्ट ऑफिस ....थाना ....तहसील ....

जिला ....राज्य .... पिन कोड ....

के स्थाई निवासी है, जिनका फोटोग्राफ निचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य है क्योकि वित्तीय वर्ष ....में इनके परिवार कि कुल वार्षिक आय 08 लाख (आठ लाख रूपए मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित में निम्न्निधित में से कोई भी परिसंपत्ति नहीं है-

1. जिनके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो (जिसके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, पथरीली, बीहड़ भूमि अंकित हो, वह भूमि इस भूमि में शामिल नहीं होगी)।
2. जिनके पास 1200 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो।
3. जिनके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट हो।
4. नगर परिषद् क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट हो।

श्री/श्रीमती/कुमारी ....जाति ....के सदस्य है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साइज़ का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर ....(कार्यालय का मुहर सहित)
पूरा नाम ....
पदनाम ....
अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार